न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर

पीठासीन अधिकारी :– सुभाष चन्द्र आर.ए.एस..

मैनुअल प्र.सं. : 14/2022
जीसीएमएस : 2022/282

01. आईदान पुत्र श्री शेराराम जाति नायक साकिन 6 टी.के. तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.। –:प्रार्थी

बनाम

1. हरजीतसिंह पुत्र श्री सर्दुलसिंह जाति कम्बोजसिख साकिन 6 टी.के. तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
2. हरदीपसिंह पुत्र श्री सर्दुलसिंह जाति कम्बोजसिख साकिन 6 टी.के. तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.।
3. शीतलसिंह पुत्र श्री इन्द्रसिंह जाति कम्बोज साकिन 6 टी.के. तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.।
4. मनफूल पुत्र श्री शेराराम जाति नायक साकिन 6 टी.के. हाल साकिन 2 के.एल. डी. तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर राज.।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू:– 12.05.2022

उपस्थित अधिवक्ता:–
1. श्री राजाराम धारणियां प्रार्थी अधि.।
2. श्री हेतराम बिश्नोई अप्रार्थी संख्या 1–2 अधि.।

दिनांक 28.03.2025

––निर्णय––

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क की उपधारा (2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मेरी जोत चक 6 टी.के. तहसील रायसिंहनगर के मु.नं. 55 पं.नं. 180/302 के कि.नं. 6–7–8–9/1, 13/2, 14, 15 में 1.550 है. बारानी खातेदारी भूमि है तथा इसी मुरब्बा में अप्रार्थी संख्या 3 मनफूल के पास कि.नं. 1 ता 5, 9/2, 10 में 1.550 है. बारानी भूमि है जिस भूमि में आवागमन के लिए इसी चक 6 टी.के. के मुरब्बा नं. 44 पं.नं. 180/301 के कि.नं. 5–6–15–16–25 में से काफी पुराना सुखाचार के तहत रास्ता चालू है जिसका प्रार्थी के अलावा उक्त अप्रार्थी संख्या 4 मनफूल इस रास्ता में आवागमन करते है तथा सुखाचार के तहत इस मार्ग का उपयोग व उपभोग किया जा रहा है जो उक्त वर्णित भूमि अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 के नाम से है इसलिए उक्त प्रस्तावित रास्ता प्रार्थी स्वीकृत करवाना चाहता है। प्रार्थी चक 6 टी.के. तहसील के मु.नं. 44 पं.नं. 180/301 के कि. नं. 5–6–15–16–25 में से प्रत्येक किलाजात में 0.013–0.013 है. भूमि में से प्रस्तावित [illegible] करवाना चाहता है। क्याकि प्रार्थी के अलावा अप्रार्थी संख्या [illegible] द्वारा अपने अपने खेतों में आवागमन के लिए [illegible] मात्र सरल एवं सुगम है जिसका काफी [illegible] से सुखाचार के तहत उपयोग व उपभोग किया जा रहा है तथा इसी रास्ता [illegible] स्वीकृत कर दिया जाता है तो इससे प्रार्थी के अलावा अप्रार्थी [illegible] 4 को अपने–अपने [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.04.03 17:06:05 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

AnyScanner

में आवागमन में उक्त वांछित स्वीकृति हेतु प्रस्तावित रास्ता से आवागमन में सरलता होगी जो रास्ता स्वीकृत फरमाया जावे। रास्ता में आने वाली भूमि में काफी सालों से रास्ता सुचारू रूप से चल रहा है तथा सुखाचार के तहत प्रयोग में लिया जा रहा है तथा यही रास्ता आवाजाही के लिए सरल,सुगम रास्ता है जो स्वीकृत किए जाने वाला रास्ता सुखाचार के तहत काफी पुराना चल रहा रास्ता है तथा स्वीकृति योग्य है अगर फिर भी माननीय न्यायालय द्वारा उक्त स्वीकृत किए जाने वाले रास्ता की भूमि के बदले कोई डी.एल.सी. दर अथवा समुचित फीस जमा करवाये जाने का आदेश दिया जायेगा प्रार्थी जमा करवा देगा।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी रजि. नोटिस तलब किया गया एवं तहसीलदार रायसिंहनगर से मौका जांच रिपोर्ट हेतु पत्र जारी किया गया है। अप्रार्थी सं. 1–2 की ओर से श्री हेतराम बिश्नोई अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश कर प्रार्थना पत्र का जवाब में अंकित किया है कि अप्रार्थी मनफूल को अपने मुरब्बा नं. 55 की भूमि के कि.नं. 1 ता 5 व 9–10 में आने–जाने के लिए रास्ता की आवश्यकता नहीं है तथा अप्रार्थी मनफूल द्वारा रास्ता की मांग भी नहीं की गयी है। प्रार्थी आईदान की बारानी भूमि होने के कारण बरसात होने पर ही साल में एक फसल कास्त हो सकती है। प्रार्थी आईदान भी अपने मुरब्बा नं. 55 की बारानी भूमि के कि.नं. 6 ता 9 व 13 ता 15 में बारानी भूमि मुरब्बा न . 62 की भूमि में से ही आता–जाता है मुरब्बा नं. 62 को मंजूरशुदा रास्ता लगता है। कि मुरब्बा नं. 44 के कि.नं. 16 व 25 में कास्तकार द्वारा सिंचाई हेतु पक्की डिग्गी 105 गुणा 95 फुट की बना रखी है जो सन् 2013 से कृषि विभाग द्वारा स्वीकृति से अनुदान डिग्गी बनी हुई है तथा उसी के साथ सिंचाई पानी के लिए सोलर सेट भी करीब 2–3 साल से लगा हुआ है। मुरब्बा नं. 44 के कि.नं. 15–16–25 में पत्थर लाईन पर पूर्वी दिशा में खेत की सिंचाई हेतु व डिग्गी में पानी डालने व निकालने हेतु अप्रार्थीगण का निजी पक्का खाला बना हुआ है तथा कि.नं. 25 में जमीन में बोर करके ट्यूबेल लगाया हुआ है जिसका पानी सिंचाई काम में लेते है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निराधार होने से खारिज फरमाया जावे। अप्रार्थी संख्या 4 ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र का जवाब पेश किया है कि मुझ अप्रार्थी को अपने मुरब्बा नं. 55 की भूमि के कि.नं. 1 ता 5 व 9 व 10 में आने जाने के लिए रास्ता की आवश्यकता नहीं है क्योंकि बारानी भूमि होने के कारण बरसात होने पर ही साल में एक फसल काश्त हो सकती है। मुझ अप्रार्थी का मुरब्बा नं. 62 की बारानी भूमि में से आना जाना है। प्रार्थी आईदान भी अपने मुरब्बा नं. 55 की बारानी भूमि के कि.नं. 6 ता 9 व 13 ता 15 में बारानी भूमि मुरब्बा न . 62 की भूमि में से ही आता जाता है। मुरब्बा नं. 44 के कि.नं. 16 व 25 में कास्तकार द्वारा सिंचाई हेतु पक्की डिग्गी 105 गुणा 95 की बना रखी है जो सन् 2013 से कृषि विभाग द्वारा स्वीकृति से अनुदानित डिग्गी बनी हुई है तथा उसी के साथ सिंचाई पानी के लिए सोलर सेट भी करीब 2–3 साल से लगा हुआ है। मुरब्बा नं. 44 के कि.नं. 15–16–25 में पत्थर लाईन पर पूर्वी दिशा में खेत की सिंचाई हेतु

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.04.03 17:06:05 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

व डिग्गी में पानी डालने व निकालने हेतु पक्का खाला बना हुआ है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निराधार होने से खारिज फरमाया जावे। अप्रार्थी सं. 3 न्यायालय में हाजिर नहीं आने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

3. तहसीलदार रायसिंहनगर ने अपने पत्र क्रमांक राजस्व/2024/833 दिनांक 20.05.2024 से अवगत करवाया है कि मुताबिक रिपोर्ट प्रार्थी के नाम चक 6 टीके के खाता संख्या 10 पं.नं. 180/302 मु. नं. 55 कुल रकबा 1.555 है. बारानी आईदान पुत्र शेराराम जाति नायक साकिन देह के नाम खातेदारी दर्ज रिकार्ड है रकबा रहन हैं प्रार्थी द्वारा मु.नं. 44 प.नं. 180/301 के कि.नं. 5–6–15–16–25 प्रत्येक में 0.013 है. पश्चिम दिशा में चिपता हुआ रास्ते की मांग की है जो मौके पर चालू नहीं है कि.नं. 5–6–15–16 के पूर्वी छोर पर कच्चा खाला बना हुआ है तथा कि.नं. 25/1 में पूर्वी छोर पर पक्का खाला बना हुआ है जिसके चिपते पक्की डिग्गी बनी हुई है । अतः प्रार्थी की मांग अनुसार रास्ता दिया जाना संभव नहीं है। रास्ता स्वीकृत करने हेतु निम्न प्रस्ताव के विकल्प है 1. पं.नं. 180/301 मु.नं. 44 के कि.नं. 5–6–15–16 प्रत्येक में 0.013 है. व पं.नं. 179/301 मु.नं. 45 के कि.नं. 20 के दक्षिण–पश्चिम कोने मे घुमाव हेतु 0.0006 है. तथा किनं. 21 में 0.013 है. पं.नं. 179/302 मु.नं. 54 कि.नं. 10 का उतरी–पश्चिमी कोना में घुमाव हेतु 0. 0006है. इसी मु.नं. 54 के कि.नं. 1 में 0.013 है. पश्चिमी पासा इस प्रकार कुल 0.0792 है.। 2. पं.नं. 179/301 मु.नं. 45 के कि.नं. 21 ता 25 प्रत्येक में 0.013 व पं.नं. 179/302 मु.नं. 54 के कि.नं. 1 में 0.013है. पश्चिमी दिशा व कि.नं. 10 के उतरी–पश्चिमी कोना में घुमाव हेतु 0.006 है. इस प्रकार कुल 0.0786 है.। श्रीमान् जी रास्ता का प्रस्ताव सं. 1 प्रार्थी खेत को मु.नं. 43 के कि.नं. 5–6–15–16–25 के मंजूर शुद्वा रास्ते से जोडता है व प्रस्ताव सं. 2 प्रार्थी के खेत को मु.नं. 46 के कि.नं. 21 ता 25 के मंजूर शुद्वा रास्ते से जोडता है। रास्ता हेतु प्रस्ताव सं. 2 प्रार्थी के खेत से स्वीकृत शुद्वा रास्ता निकटतम दूरी पर है अप्रार्थीगण द्वारा रास्ता देने में असहमति जाहिर की है। प्रार्थी के खेत में जाने हेतु कोई स्वीकृतशुद्वा रास्ता नहीं है। मौके पर आवागमन हेतु प्रार्थी को अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता भी नहीं है। अप्रार्थीगण को सुनवाई कर आगामी कार्यवाही की जानी उचित है।

4. अप्रार्थी हरजीतसिंह, हरदीपसिंह ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि तहसीलदार द्वारा मौका रिपोर्ट में तथ्यों को छुपाया है मौके पर इसी मुरब्बा के कि.नं. 25 मे सिचाई हेतु डिग्गी का क्षेत्रफल 105 गुणा 95 फुट बनी हुई तथा डिग्गी के साथ सोलर सेट प्लेट्स लगी हुई है तथा कि.नं. 25 में ट्यूबेल भी बना हुआ है जो चालू अवस्था में है तथा कि.नं. [illegible] पूर्वी पत्थर लाईन पर सिंचाई हेतु व डिग्गी में पानी [illegible] प्रार्थी का निजी पक्का खाला बनाया हुआ है। इन तथ्यों का उल्लेख तहसीलदार द्वारा अपनी रिपोर्ट में नहीं किया [illegible] इस संबंध में पुनः रिपोर्ट मंगवाई जानी न्यायोचित है। प्रार्थना पत्र कि मद सं. 3 में वर्णित तथ्य अनुसार इस संबंध में पुनः रिपोर्ट तहसीलदार से

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.04.03 17:06:05 IST
Reason: SelfAttested

मंगवाई जाने का आदेश फरमावे। दिनांक 12.11.2024 को अप्राथीगण ने पुनः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थी की भूमि चक 6 टीके के मुरब्बा नं. 56 के दक्षिण दिशा में नहर है तथा नहर के पास इस मुरब्बा नं. के चिपता रास्ता चालू है। आईदान व उसकी पत्नी लिछमा की भूमि के लिए रास्ता मुरब्बा नं. 56 के कि.नं. 5–6–15–16–25 में से रास्ता मंजूर किया जा सकता है आईदान व लिछमा देवी की भूमि बारानी है तथा मुरब्बा नं. 56 की भूमि भी बारानी है मुरब्बा नं. 56 के कास्तकार मुख्त्यारकौर पत्नी पूर्णसिंह, हरजिन्दरसिंह पुत्र कर्मसिंह व संतोखसिंह पुत्र जयसिंह है मुखत्यारकौर द्वारा हरजिंदरसिंह व संतोखसिंह की इसी मुरब्बा नं. में से रास्ता मंजूरी हेतु प्रार्थना पत्र श्रीमान् जी प्रस्तुत किया था प्रकरण सं. 42/2021 अनवान मुखत्यारकौर बनाम हरजिंदरसिंह आदि निर्णय दिनांक 21.10.2024 को किया जाकर मुरब्बा नं. 56 के कि.नं. 15–16–25 में से रास्ता स्वीकृत किया गया है इससे आगे कि.नं. 5 व 6 में रास्ता मंजूर किये जाने पर आईदान व उसकी पत्नी लिच्चमादेवी की कृषि भूमि को रास्ता आवागमन हेतु उपलब्ध होगा। ऐसी स्थिति में मुरब्बा नं. 56 के कि.नं. 5 व 6 में से भी रास्ता मंजूर किया जान जनहित में है। उक्त प्रार्थना पत्र पेश होने पर स्वयं द्वारा मौका निरीक्षण किया गया जिसमें प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की उपस्थिति में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का निरीक्षण किया गया।

5. बहस वकील उभयपक्ष की सुनी गयी। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौराया एवं कथन किया कि प्रार्थी को अपने खातेदारी भूमि में आने–जाने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है रास्ते के बदले प्रार्थी राज्य सरकार के नियमानुसार राशि का भुगतान भी कर सकता है। प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता स्वीकृत किया जाना न्यायहित में है अप्रार्थीगण अधिवक्ता ने बहस में कथन किया है मुरब्बा नं. 44 के कि.नं. 16 व 25 में कास्तकार द्वारा सिंचाई हेतु पक्की डिग्गी 105 गुणा 95 की बना रखी है जो सन् 2013 से कृषि विभाग द्वारा स्वीकृति से अनुदानित डिग्गी बनी हुई है तथा उसी के साथ सिंचाई पानी के लिए सोलर सेट भी करीब 2–3 साल से लगा हुआ है। मुरब्बा नं. 44 के कि.नं. 15–16–25 में पत्थर लाईन पर पूर्वी दिशा में खेत की सिंचाई हेतु व डिग्गी में पानी डालने व निकालने हेतु पक्का खाला बना हुआ इसलिए उक्त स्थान से रास्ता स्वीकृत किया जाना उचित नहीं है प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण को बिना बजह परेशान व आर्थिक नुकसान पहुंचाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया है तथा तहसीलदार रायसिंहनगर के द्वारा मौका रिपोर्ट में स्पष्ट अंकित है कि उक्त स्थान से रास्ता दिया जाना संभव नहीं है इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज किया जावे।

6. हमने विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनकर व पढकर उस पर गौर किया। प्रार्थना पत्र व तहसीलदार रायसिंहनगर द्वारा प्रेषित रिपोर्ट, भू–अभिलेख निरीक्षक एंव पटवारी हल्का की संयुक्त जॉच रिपोर्ट, फर्द मौका एवं उस पर प्रस्तावित नजरी नक्शा का अवलोकन करते हुए विधिक प्रावधानों पर मनन किया। भू–अभिलेख निरीक्षक एंव पटवारी हल्का की संयुक्त जांच रिपोर्ट

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.04.03 17:06:05 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) रायसिंहनगर
AnyScanner

एंव फर्द मौका एंव राजस्व रिकॉर्ड से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा चाहे गये स्थान पर अप्रार्थीगण की सन् 2013 से पक्की डिग्गी बनी हुई है अन्य विकल्प से संबंधित काश्तकारगण को प्रार्थी द्वारा पक्षकार भी नहीं बनाया गया है स्वयं मौका निरीक्षण अनुसार चाहे जा रहे मुरब्बा नम्बर व किला नम्बर से रास्ता दिया जाना संभव नहीं है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 251 क आरटीएक्ट खारिज किया जाना उचित है। प्रावधानों के अन्तर्गत भूमि के बदले दुगुनी भूमि व आराजीराज भूमि के बदले भूमि देने का प्रावधान नहीं है अतः प्रार्थी द्वारा की गई रास्ते की मांग अतिआवश्यक है और प्रार्थी द्वारा की गई रास्ते की मांग स्वयं की सुविधा मात्र के नहीं है। उक्त वैकल्पिक रास्ता भी नहीं है उक्त तथ्यों को मध्यनजर रखते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 251 क भूमि के बदले डी.एल.सी. दर की दुगुनी राशि पर स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

—:आदेशः—

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 खारिज किया जाता है प्रार्थी प्रार्थना पत्र 251 आरटीएक्ट पुनः पेश करने हेतु स्वतंत्र रहेगा। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर
उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर,श्रीगंगानगर,राजस्थान

निर्णय आज दिनांक 28.03.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर
उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर,श्रीगंगानगर,राजस्थान

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.04.03 17:06:05 IST
Reason: SelfAttested